तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/18	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी के जवाब एवं वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। वादी द्वारा स्वयं के शपथ-पत्र के साथ, छायाप्रति आधार कार्ड नम्बर 533001718725, राशन कार्ड जारी द्वारा ग्राम पंचायत / नगर पालिका रामगंजमण्डी नम्बर 107301800302, फोटो पहचान पत्र निर्वाचन विभाग RJ/19/115/507410 आयकर विभाग का पेन नम्बर ARCPD7353C राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगंजमण्डी का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) क्रमांक 5756 प्रवेशांक 117176 की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजात में वादी का नाम केशवराम दर्ज है, जबकि ग्राम रोसली की भूमि ख० नं० 450, 451 व $\frac{534}{511}$ पर वादी का नाम केशवलाल दर्ज है। वादी द्वारा वांछित अनुतोष पर प्रतिवादी को कोई खास आपत्ति नहीं है। आपत्ति के संबंध में T.C. की प्रति प्रस्तुत कर दी गई है। अनुतोष –	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर प्रकरण में वादी को किसी प्रकार के नवीन स्वत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार एवं मनन के उपरान्त हम वादी को हुकमी तक अनुतोष दिया जाना उचित समझते हैं। धारा 188 का अनुतोष संक्षिप्त प्रक्रिया अनुसार दिया जाना उचित नहीं है। डोरान बहस उक्त अनुतोष की वांछना भी नहीं की गई। अतः दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम रोसली की भूमि ख०न० 450, 451, व 534/511 किता 3 रकबा 3.73 है० पर वादी का नाम केशवलाल के स्थान पर केशवलाल उर्फ केशवराम दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। ह० 27/3/2018 (कृष्ण गोपाल जोशन) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी निर्णय आज दि० 27/3/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया ह० 27/3/2018 कृष्ण गोपाल जोशन उपखण्ड अधिकारी राम० मण्डी	

Scanned by CamScanner